अनुसूची 14-फारम सं0-562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....**सुपौल**....., सं0.....**21**....., सन्**2026**

केस का प्रकार.....**(विविध वाद) आर्बिट्रेशन**.....**(राजाराम मंडल बनाम अन्य बनाम राज्य)**.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
28·10·2026	राज्य उपस्थित। आवेदक अनुपस्थित। सरकारी विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के भूमि का अधिग्रहण सपौल अररिया नई रेल लाईन परियोजना हेतु किया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त Arbitretor नियुक्त नहीं हैं। उनका यह भी कहना है कि यह वाद इस न्यायालय में Maintainable नहीं है। आवेदक चाहे तो RFCTLARR ACT-2013 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों के निष्पादन हेतु भूमि अधिग्रहण पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार के समक्ष वाद दायर कर उचित अनुतोष प्राप्त कर सकते है। सरकारी अधिवक्ता को वाद के पोषणीयता के बिन्दु पर सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। RFCTLARR Act 2013 की धारा-51 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों के निष्पादन हेतु 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्राधिकार' का गठन किया गया है। अतः प्रस्तुत वाद इस न्यायलय में Maintainable नहीं है। अपीलार्थी चाहे तो RFCTLARR Act 2013 की धारा-51 के तहत गठित ''भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार''के न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। तदालोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। आयुक्त लेखापित एवं शुद्धित। कोशी प्रमंडल, सहरसा। आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा